न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
प्रार्थना पत्र संख्या 196 वर्ष 2018
रूपेन्द्रसिंह वगैरा बनाम मानसिंह वगैरा आदि
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
06.06.18	पत्रावली पेश हुयी । वादीगण/ प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वाद बात तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादीगण प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने हमे यह विश्वास दिलाया हैं कि प्रतिपक्षीगण बिना किसी वैधानिक अधिकार के प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 91 ख0न0 2936, 2961, 2962, 2994, 791, 792 कुल किता 6 कुल रकबा 3.80 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तथा खाता संख्या 92 ख0न0 636, 772, 787 कुल किता 3 कुल रकबा 5.43 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा मे प्रार्थीगण के हिस्से मे मजाहमत व मदाखलत करने तथा भूमि को रहन बैचान पर आमादा है। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृश्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस की जावे। प्रतिपक्षीगण को आगामी पेशी दिनांक 18.07.2018 तक जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण के हिस्से मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे तथा ना ही भूमि को रहन बैचान व हस्तान्तरण करे। हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली दिनांक 18.07.2018 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी उनियारा	

Not press
18/7/18

D/Files/T-I

Scanned by CamScanner

18-7-18

पत्रावली पेश हुयी वादीगण मु०
वकील उपस्थित वादीगण के वकील
ने प्रार्थना पत्र पर Not press
अंकित किया है प्रार्थीगण के
वकील प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं
चाहते है अतः प्रार्थना पत्र Not Press
में खारिज किया जाता है पत्रावली
पेशतरबुल्ल होकर नत्थी 6 क/म
हो जाय शामिल मूल वाद हो

Not press
18/7/18

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner